प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बडौत **दिनाँक- 28.04.2026**

थाना बडौत पुलिस ने चैकिंग के दौरान थाने के मु0अ0सं0 280/26 धारा 191(2)/191(3)/131/352/109/103(1) बीएनएस में वाँछित हत्यारोपी 01 अभियुक्त को बाद पुलिस मुठभेड़ (घायल अवस्था में) किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिंदा व 02 खोखा कारतूस .315 बोर बरामद।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 27.04.2026 को थाना बड़ौत पर वादी आस मौहम्मद उर्फ पुत्र इसमाइल निवासी बड़का रोड़ कस्बा व थाना बड़ौत जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्तों 1-दिलशाद पुत्र बगरूदीन, 2-इरफान पुत्र हमीद, 3-रिहान, 4- रोहिन उर्फ इरम पुत्रगण इरफान, 5-इसराना पत्नी इरफान निवासीगण बड़का रोड़ कस्बा व थाना बड़ौत जनपद बागपत द्वारा वादी की पत्नी व बच्चों के साथ गाली-गलौच करते हुए हमला किया , जान से मारने की धमकी दी तथा एक राय होकर चाकू, छुरा व धारदार हथियारों से वादी व वादी के परिजनों पर वार किया, जिसमें वादी के पुत्र शोएब उम्र 23 वर्ष की मौके पर ही मृत्यु हो गई व उसके पुत्र सुहैल व फरमान तथा पुत्री फराह गम्भीर रुप से घायल हो गए। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बड़ौत पर मु0अ0सं0 280/2026 धारा 191(2)/191(3)/131/352/109/103(1) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही –

श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वाँछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान थाने के मु0अ0सं0 280/26 धारा 191(2)/191(3)/131/352/109/103(1) बीएनएस में वाँछित हत्यारोपी 01 अभियुक्त को बाद पुलिस मुठभेड़ (घायल अवस्था में) गिरफ्तार किया गया है , जिसके कब्जे से 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिंदा व 02 खोखा कारतूस .315 बोर बरामद हुए हैं।

उपरोक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बडौत पर अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घायल पुलिस कर्मी- **मुठभेड के दौरान अभियुक्त के द्वारा पुलिस पार्टी पर की गई फायरिंग में थाना बडौत के है0का0 425 वीरेन्द्र सिंह बाँये हाथ में गोली लगने से घायल हो गए हैं।**

घटनास्थल/ गिरफ्तारी स्थान- **औद्योगिक नहर पटरी के डौला की ओर जाने वाला रास्ता नव निर्माणाधीन कॉलोनी थाना बड़ौत।**

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1.इरफान पुत्र हमीद निवासी बड़का रोड निकट सलीम मैरिज होम कस्बा व थाना बड़ौत जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिंदा व 01 खोखा कारतूस .315 बोर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-प्र0नि0 श्री दीक्षित कुमार थाना बडौत जनपद बागपत।
2- उ0नि0 श्री विकास चौहान थाना बडौत जनपद बागपत।
3- उ0नि0 श्री सचिन कुमार थाना बडौत बागपत।
4- उ0नि0 श्री आरिफ अली थाना बडौत जनपद बागपत।
5- उ0नि0 श्री आशीष कुमार थाना बड़ौत जनपद बागपत।
6- उ0नि0 श्री आदित्य कुमार थाना बड़ौत जनपद बागपत।
7- है0का0 425 वीरेन्द्र कुमार थाना बड़ौत जनपद बागपत।

8- है0का0 682 दीपक कुमार थाना बड़ौत जनपद बागपत।

9-का0 406 रविन्द्र भाटी थाना बड़ौत जनपद बागपत।

10-का0 301 मुलायम थाना बड़ौत जनपद बागपत।

11-का0 399 राहुल चौहान थाना बड़ौत जनपद बागपत।

12-का0 92 सचिन कुमार थाना बड़ौत जनपद बागपत।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना कोतवाली बागपत   दिनाँक 28.04.2026

थाना कोतवाली बागपत पुलिस व चिकित्सा विभाग बागपत की संयुक्त टीम ने कस्बा बागपत में अवैध तरीके से चल रहे अल्ट्रासाउंड सेंटर को सीज करते हुए एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से एक डी0वी0आर0 व 21 हजार रुपये नगद व अन्य कागजात बरामद।

कार्यवाही-

दिनांक 28-04-2026 को चिकित्सा विभाग बागपत टीम को कस्बा बागपत में एक अवैध तरीके से अल्ट्रासाउंड सेंटर चलने की सूचना मिली जहां पर भ्रूण के लिंग की जांच की जा रही थी, सूचना पर चिकित्सा विभाग बागपत तथा थाना कोतवाली बागपत पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा कस्बा बागपत में अवैध तरीके से चल रहे अल्ट्रासाउंड सेंटर को सीज करते हुए 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से एक डी0वी0आर0 मशीन व 21 हजार रुपये नगद व अन्य कागजात बरामद हुई है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली पर अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

विपिन कुमार पुत्र सुशील कुमार निवासी ग्राम खट्टा प्रहलादपुर थाना चांदीनगर जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- **एक डी0वी0आर0 मशीन।**
- **21000/- रुपये।**
- **अन्य कागजात।**

गिरफ्तारी/कार्यवाही करने वाली टीम-

1-थाना कोतवाली पुलिस टीम।
2-चिकित्सा विभाग बागपत टीम।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना कोतवाली बागपत **दिनाँक 28.04.2026**

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 241/2026 धारा 381(4)/338/ 336(3)/340(2)/351(2)/61(2) बीएनएस में वांछित एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 19.04.2026 को थाना कोतवाली बागपत पर वादी नाथू सिंह पुत्र स्व0 चंदर सिंह निवासी जनकपुरी , नई दिल्ली ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्तों द्वारा श्रीमती लाली पुत्री स्वर्गीय करण सिंह निवासी बागपत उ0प्र0 का फर्जी एवं कूटरचित मृत्यु प्रमाण पत्र तैयार कर तथा उसका उपयोग करते हुए धोखाधडी पूर्वक भूमि का नामांतरण अपने नाम कराकर वादी की सम्पति हड़पने का प्रयास किया तथा वादी व केयर टेकर श्री अंजू पुत्र सतपाल निवासी ग्राम सूजरा को जान से मारने की धमकी दी गई। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 241/26 धारा 318(4)/338/336(3)/340(2)/351(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 241/2026 धारा 381(4)/338/336(3)/340(2)/351(2) /61(2) बीएनएस में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

ओमप्रकाश पुत्र स्व0 समे सिंह निवासी कस्बा बागपत थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1- व0उ0नि0 श्री रजनीश कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

2- है0का0 151 संदीप दहिया थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत दिनाँक 28.04.2026

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर मय एक जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे ऑपरेशन शस्त्र के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है । गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर मय एक जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ है ।

उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 261/26 धारा 3/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

महत्वपूर्ण सूचना- बागपत पुलिस द्वारा जनसामान्य को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति अवैध असलहे का प्रयोग न करे तथा अवैध अथवा लाइसेंसी असलहों का सार्वजनिक रूप से प्रदर्शन न करे । यदि इस प्रकार का कोई भी प्रकरण संज्ञान में आता है, तो संबंधित के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही अमल में लायी जाएगी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

मुस्तकीम पुत्र शगीर निवासी माता कॉलोनी कस्बा बागपत थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-(अभि0गण से बरामद)

- **एक अवैध तमंचा .315 बोर मय एक जिन्दा कारतूस .315 बोर।**

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-म0उ0नि0 सीमा सिंह थाना कोतवाली बागपत।

2-उ0नि0 श्री शारिक अली थाना कोतवाली बागपत।

3-है0का0 435 आलोक कुमार थाना कोतवाली बागपत।

4-का0 369 विशाल कुमार थाना कोतवाली बागपत।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बडौत दिनांक 28.04.2026

थाना बड़ौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 23/26 धारा 338/336(3)/340(2)/318(4)/61(2) बी.एन.एस. में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 07.01.2026 को थाना बड़ौत पर वादी श्री अंकित पुत्र हरबीर निवासी ग्राम जिवाना थाना बडौत जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्तों 1- शिवकुमार पुत्र ब्रह्मसिंह, 02- मनीष कुमार पुत्र शिवकुमार निवासीगण ग्राम शाहपुर बडौली हाल पता आवास विकास कॉलोनी कस्बा व थाना बडौत जनपद बागपत, 03- विनोद पुत्र हंसदीप निवासी ग्राम बावली हाल पता बिनौली रोड कस्बा व थाना बडौत जनपद बागपत, 4-हल्का कानूनगो पंकज तत्कालीन तहसील बडौत जनपद बागपत, 5- हल्का लेखपाल शैलेन्द्र तहसील बडौत जनपद बागपत के द्वारा वादी के साथ षडयंत्र व धोखाधडी करते हुए फर्जी/कूटरचित दस्तावेज तैयार कर फर्जी तरीके पैसे लेकर बैनामा किया गया। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बड़ौत पर मु0अ0सं0 23/2026 धारा 338/336(3)/340(2)/318(4)/61(2) बी.एन.एस. पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 23/2026 धारा 338/336(3)/340(2)/318(4)/61(2) में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पताः-

शिवकुमार पुत्र ब्रह्म सिंह निवासी ग्राम शाहपुर बडौली थाना बड़ौत जनपद बागपत हालनिवासी आवास विकास कॉलोनी कस्बा व थाना बड़ौत जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1-उ0नि0 श्री आदित्य कुमार थाना बडौत।

2-का0 463 पवन नागर थाना बड़ौत।

3-रि0का0 505 सुनील कुमार थाना बड़ौत।

प्रेस नोट

थाना बड़ौत दिनाँक 28.04.2026

थाना बड़ौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 281/26 धारा 115(2)/351/352/333 /131/110/118(1) बी.एन.एस व 4/25 आर्म्स एक्ट से सम्बन्धित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 चाकू बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 28.04.2026 को थाना बड़ौत पर वादी श्री ब्रजभूषण पुत्र स्व0 रघुवीर निवासी ग्राम बाजिदपुर थाना बडौत जनपद बागपत ने सूचना दी कि अभियुक्त प्रवीण पुत्र रघुवीर निवासी ग्राम वाजिदपुर थाना बडौत जनपद बागपत के द्वारा उसके घर में घुस कर उसके साथ मारपीट की गयी व गाली गलौच करते हुए चाकू से हमला किया, जिसमें उसके चोट आयीं तथा शोर शराबा सुनकर उसके चाचा हरिकृष्ण पुत्र भुल्लन सिंह के द्वारा बचाने की कोशिश करने पर अभियुक्त के द्वारा हरिकृष्ण उपरोक्त के ऊपर चाकू से कई बार हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिससे उनके गम्भीर चोटें आयीं व जान से मारने की धमकी दी तथा चाकू हाथ में लेकर वादी के ऊपर हमला किया और मौके पर चाकू के साथ घेर घोट कर वादी के द्वारा अभियुक्त को अन्य लोग की सहायता से पकड़ लिया गया। उक्त अभियुक्त को वादी द्वारा जनता की मदद से

थाना कोतवाली बड़ौत पर लाया गया एवं थाना बड़ौत पुलिस द्वारा अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया तथा घटना में प्रयुक्त अवैध चाकू को कब्जे पुलिस में लिया गया । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बड़ौत पर मु0अ0सं0 281/26 धारा 115(2)/351/352/333/131/110/118(1) बी.एन.एस व 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

प्रवीण पुत्र रघुवीर निवासी ग्राम वाजिदपुर थाना बडौत जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- घटना में प्रयुक्त 01 चाकू ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-का0 1013 गौरव कुमार थाना बडौत ।
2-है0का0 507 पवन कुमार थाना बडौत ।
3-रि0का0 175 प्रताप सिंह थाना बडौत ।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बिनौली **दिनाँक 28.04.2026**

थाना बिनौली पुलिस ने चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय एक जिन्दा कारतूस बरामद।

संक्षिप्त विवरणः-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चलाये जा रहे ऑपरेशन शस्त्र के अन्तर्गत थाना बिनौली पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस बरामद हुआ है।

उक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बिनौली पर मु0अ0सं0 116/26 धारा 3/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

महत्वपूर्ण सूचना- बागपत पुलिस द्वारा जनसामान्य को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति अवैध असलहे का प्रयोग न करे तथा अवैध अथवा लाइसेंसी असलहों का सार्वजनिक रूप से प्रदर्शन न करे। यदि इस प्रकार का कोई भी प्रकरण संज्ञान में आता है, तो संबंधित के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही अमल में लायी जाएगी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

फरीद पुत्र राशिद निवासी ग्राम बरनावा थाना बिनौली जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- **01 अवैध तमंचा .315 बोर मय एक जिन्दा कारतूस ।**

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 नीलकान्त सिंह थाना बिनौली जनपद बागपत ।

2-का0 1115 राहुल तिवारी थाना बिनौली जनपद बागपत ।

3- रिक्रूट आरक्षी 491 दीपक कुमार थाना बिनौली जनपद बागपत ।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बिनौली **दिनाँक 28.04.2026**

थाना बिनौली पुलिस ने चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय दो जिन्दा कारतूस बरामद।

संक्षिप्त विवरणः-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चलाये जा रहे ऑपरेशन शस्त्र अभियान के अन्तर्गत थाना बिनौली पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस बरामद हुआ है।

उक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बिनौली पर मु0अ0सं0 115/26 धारा 3/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

महत्वपूर्ण सूचना- बागपत पुलिस द्वारा जनसामान्य को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति अवैध असलहे का प्रयोग न करे तथा अवैध अथवा लाइसेंसी असलहों का सार्वजनिक रूप से प्रदर्शन न करे। यदि इस प्रकार का कोई भी प्रकरण संज्ञान में आता है, तो संबंधित के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही अमल में लायी जाएगी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

मोनू उर्फ आलू पुत्र राजकुमार निवासी ग्राम बिनौली थाना बिनौली जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- **01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस।**

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 संजीव कुमार थाना बिनौली जनपद बागपत।

2-का0 892 तेजवीर सिंह थाना बिनौली जनपद बागपत।

3-पीआरडी 6008 प्रवेन्द्र कुमार थाना बिनौली जनपद बागपत।